न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO), बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :— श्री यशार्थ शेखर, आई.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :— 746 / 2024

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
1 बालाराम पुत्र भूराराम जाति जाट निवासी भारमलनगर, हुड़ों की ढाणी, तहसील व जिला बाड़मेर		1. तहसीलदार बाटाडू, जिला बाड़मेर 2. प्रधानाध्यापक, शिक्षाकर्मी पाठशाला भारमलाणी कड़वासरों की ढाणी, हुड़ों की ढाणी तहसील बाटाडू जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 136 RLR Act.

उपस्थिति :—

1. श्री मनोज पारीक, वकील प्रार्थी पक्ष।
2. पैरोकार सरकार

आदेश

दिनांक 25.08.2025

संक्षिप्त में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के खातेदारी का खेत मौजा भारमलनगर पटवार क्षेत्र हुडों की ढाणी तहसील बाटाडू जिला बाडमेर में खसरा नम्बर 121 रकबा 6.7794 हेक्टयर व खसरा नम्बर 391 / 121 रकबा 1.2135 हेक्टयर की आई हुई है जो भूमि प्रार्थी के कब्जे काश्त की भूमि है, जिस पर प्रार्थी की रहवासी ढाणी, टांके, लाटा आदि बना हुआ है। प्रार्थी की माता खेतुदेवी ने अपने खेत मूल खसरा नम्बर 121 में से 04.00 बीघा भूमि सार्वजनिक कार्य हेतु शिक्षाकर्मी पाठशाला भारमलाणी कडवासरों की ढाणी, हुडों की ढाणी के स्कूल भवन के निर्माण हेतु राज्य सरकार के पक्ष में समर्पित की गई, जिस पर तहसीलदार बायतु ने अपने आदेश के द्वारा खेतुदेवी की भूमि में से 04.00 बीघा के नये खसरा नम्बर 390 / 121 सृजित कर उक्त भूमि राज्य सरकार के पक्ष में समर्पित की गई तथा प्रार्थी की माता द्वारा समर्पित भूमि को उनके खेत खसरा नम्बर 121 में जो संलग्न नजरी नक्शा परिशिष्ट ''अ' में बरंग लाल दर्शायी गई के अनुसार समर्पित की गई तथा तहसीलदार बायतु ने भी इसी अनुसार राज्य सरकार के पक्ष में नामान्तरकरण पारित कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने व लट्ठा ट्रेस में तरमीम करने हेतु हल्का पटवारी को आदेशित किया गया। राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा समर्पित भूमि लट्ठा ट्रेस में स्कूल की भूमि की तरमीम मौके पर मौजूद स्कूल भवन की स्थिति के अनुसार तरमीम नहीं करके भूलवश गलत (अशुद्ध) तरमीम कर दी गई अर्थात लट्ठा ट्रेस व वास्तविक स्थिति परिशिष्ट ''अ' में भिन्नता है इसलिये प्रार्थी स्कूल की भूमि की गलत व अशुद्ध तरमीम को शुद्धिकरण करवाना चाहता है। स्कूल की भूमि के चारों तरफ वर्तमान भवन बनी हुई है तथा वर्तमान में स्कूल का संचालन नहीं हो रहा है परन्तु मौके पर स्कूल के भवन के अनुसार लट्ठा ट्रेस में तरमीम नहीं की गई है तथा वर्तमान गलत तरमीम के कारण प्रार्थी की भूमि दो टुकडों में विभक्त हो रही है जिससे प्रार्थी को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा भारमलनगर पटवार क्षेत्र हुडों की ढाणी तहसील बाटाडू जिला बाडमेर में खसरा नम्बर 390 / 121 रकबा 0.6472 हेक्टयर अर्थात 04.00 बीघा भूमि की राजस्व रेकर्ड में अंकित गलत तरमीम को निरस्त कर मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार संलग्न नजरी नक्शा परिशिष्ट ''अ' के अनुसार दुरस्त करवाने का आदेश फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Yasharth Shekhar
Date: 2025.10.25 12:53:02 IST
Reason: SelfAttested

आवेदन दर्ज रजिस्टर कर, विप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये एवं तहसीलदार बाटाडू से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई।

तहसीलदार बाटाडू ने अपने पत्रांक भू.अ./2025/846 दिनांक 25.07.2025 को रिपोर्ट इस आशय की उपलब्ध करवाई कि मौजा भारमलनगर पटवार क्षेत्र हुडों की ढाणी तहसील बाटाडू जिला बाडमेर में खसरा नम्बर 390/121 रकबा 0.6472 हैक्टेयर अर्थात 04.00 बीघा भूमि शिक्षा कर्मी पाठशाला भारमलाणी कड़वासरों की ढाणी के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। उक्त भूमि में स्कूल की बिल्डिंग, पानी का टांका आदि बने हुवे है, जिसकी वर्तमान तरमीम रिपोर्ट के संलग्न परिशिष्ट ''अ'' के अनुसार है। वर्तमान तरमीम के अनुसार जरीब चलाकर भूमि का नाम करने पर स्कूल का बौरवैल व पानी का टांका प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 391/121 में आ रहा है। वर्तमान में मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार तरमीम रिपोर्ट के संलग्न परिशिष्ट ''ब'' है।

वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा तहसीलदार बाटाडू की तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार मौजा भारमलनगर पटवार क्षेत्र हुडों की ढाणी तहसील बाटाडू जिला बाडमेर में खसरा नम्बर 390/121 रकबा 0.6472 हैक्टेयर अर्थात 04.00 बीघा एवं खसरा नम्बर 391/121 एवं खसरा नम्बर 121 की तरमीम तहसीलदार बाटाडू की रिपोर्ट के संलग्न परिशिष्ट ''ब' के अनुसार दुरस्त करने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेज यथा जमाबन्दी संवत् 2076–2079 व नक्शा का अवलोकन किया गया तहसीलदार बाटाडू द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट एवं संलग्न परिशिष्टों का अवलोकन किया गया। तहसीलदार बाटाडू द्वारा अपनी मौका रिपोर्ट में अंकित किया है कि मौजा भारमलनगर पटवार क्षेत्र हुडों की ढाणी तहसील बाटाडू जिला बाडमेर में खसरा नम्बर 390/121 रकबा 0.6472 हैक्टेयर अर्थात 04.00 बीघा भूमि शिक्षा कर्मी पाठशाला भारमलाणी कड़वासरों की ढाणी के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। उक्त भूमि में स्कूल की बिल्डिंग, पानी का टांका आदि बने हुवे है, जिसकी वर्तमान तरमीम रिपोर्ट के संलग्न परिशिष्ट ''अ'' के अनुसार है। वर्तमान तरमीम के अनुसार जरीब चलाकर भूमि का नाम करने पर स्कूल का बौरवैल व पानी का टांका प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 391/121 में आ रहा है। वर्तमान में मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार तरमीम रिपोर्ट के संलग्न परिशिष्ट ''ब'' अनुसार होने से दुरस्त करना उचित बताया है। प्रकट तथ्यों के मद्देनजर मौजा भारमलनगर पटवार क्षेत्र हुडों की ढाणी तहसील बाटाडू जिला बाडमेर में खसरा नम्बर 390/121 रकबा 0.6472 हैक्टेयर अर्थात 04.00 बीघा एवं खसरा नम्बर 391/121 एवं खसरा नम्बर 121 की तरमीम तहसीलदार बाटाडू की रिपोर्ट के संलग्न परिशिष्ट ''ब' के अनुसार दुरस्त भूमि की वर्तमान तरमीम को निरस्त करते हुए मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार तहसीलदार बाटाडू द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के संलग्न परिशिष्ठ ''ब'' के अनुसार दुरूस्त (शुद्धिकरण) किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार करते हुए मौजा भारमलनगर पटवार क्षेत्र हुडों की ढाणी तहसील बाटाडू जिला बाडमेर में खसरा नम्बर 390/121, खसरा नम्बर 391/121 एवं खसरा नम्बर 121 की अशुद्ध तरमीम को निरस्त करते हुए तहसीलदार बाटाडू द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के संलग्न परिशिष्ठ ''ब'' के अनुसार तरमीम दुरूस्त कर राजस्व नक्शा में तरमीम दुरूस्त (शुद्धिकरण) किया जावे। तहसीलदार बाटाडू तदनुसार समस्त राजस्व अभिलेख शुद्ध करें। तहसीलदार बाटाडू द्वारा प्रस्तुत परिशिष्ठ ''ब'' आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Yasharth Shekhar
Date: 2025.10.25 12:53:02 IST
Reason: SelfAttested

(यशार्थ शेखर)
उपखण्ड अधिकारी,
(SDO), बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 25-08-2025 को सरें ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर